लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2018/152 भोपाल, दिनांक : 12.10.18

प्रति,

1) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म.प्र.।

2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

3) समस्त प्राचार्य उच्च/उ.मा.वि., म.प्र.।

4) समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

विषय : ई.व्ही.एम. तथा व्ही.व्ही.पैट द्वारा मतदान प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार।

संदर्भ : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, म.प्र. का पत्र क्रमांक 70/09 स्वीप 2018/12667 दिनांक 01.10.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, म.प्र. द्वारा स्वीप पार्टनर के रूप में आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. से मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 में ई.व्ही.एम. तथा व्ही.व्ही. पैट मशीन द्वारा मतदान प्रक्रिया किस तरह पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराई जाना है, विषयक प्रचार–प्रसार में सहयोग कर अधीनस्थ कार्यालयों व विद्यालयों के माध्यम से जन जागरण में सहयोग की अपेक्षा की गई है। अतः उक्त अपेक्षा की पूर्ति के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही 15.10.2018 के पूर्व सुनिचिश्त करें।

– सभी प्राचार्यगण, विकासखण्ड, जिला एवं संभागीय कार्यालयों के प्रमुख अपनी संस्था में प्रमुख स्थान पर अपने संसाधनों से न्यूनतम 4X4 फीट का फ्लैक्स प्रदर्शित करें जिसमें ई.व्ही. एम. तथा व्ही.व्ही.पैट द्वारा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का चित्रण हो। (चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त डिज़ाईन (आठ पृष्ठीय फोल्डर के पृष्ठ क्र. 6 पर ई.व्ही.एम. एवं व्ही.व्ही.पैट द्वारा मतदान कैसे करें शीर्षक) एवं सी.डी. इस पत्र के साथ पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।)

– कार्यालयों तथा विद्यालयों में पालकों तथा आगन्तुकों से संवाद स्थापित कर उन्हें उक्त प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने हेतु बैठकों तथा शिविरों का आयोजन किया जाए।

– छात्र–छात्राओं के सहयोग से जन–जागरण अभियान, नुक्कड़ नाटक इत्यादि भी आयोजित किए जा सकते हैं।

निरन्तर..2

— यथासंभव विद्यालय के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र–छात्राओं के साथ व्याख्यान, पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी जन–जागरण किया जावे।

— इसके अतिरिक्त संलग्न पोस्टर एवं सी.डी. में दिए गए मतदान प्रक्रिया को सहज–सरल बनाने विषयक मतदाताओं हेतु महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में मतदान हेतु जरूरी दस्तावेजों की सूची, मतदाता सूची में नाम ढूंढनें की प्रक्रिया (विकल्प), अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने की प्रक्रिया एवं मतदाताओं को शत–प्रतिशत् मतदान हेतु प्रेरित करने विषयक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।

— इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की निगरानी हेतु लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. में श्री राजेश तिवारी (उप संचालक) को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उपरोक्त निर्देशों के पालन में कृत कार्यवाही से श्री तिवारी को उनके मेल आईडी rtiwari141258@gmail.com पर तत्काल अवगत करावें।

निर्देशों का समय–सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावे।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2018/143 भोपाल, दिनांक: 12.10.18
प्रतिलिपिः–

1) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश।

2) समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।

3) समस्त सी.ई.ओ., जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

4) श्री राजेश तिवारी, नोडल अधिकारी (स्वीप) एवं उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.